

भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर  
I.C.A.R.- National Research Centre on Camel, Bikaner

क्रमांक: NRCC/Adm./E/ VI(02)/CORONA Virus/2020/


दिनांक: 23.03.2020

कार्यालय आदेश

भारत सरकार/भा.क.अ.प. नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों, राजस्थान सरकार गृह (गुप)-9 के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 22.03.2020 के अनुसरण में कोरोना वायरस (COVID -19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए सक्षम अधिकारी महोदय केन्द्र की आवश्यक सेवाओं को छोड़कर एन.आर.सी.सी. को दिनांक 23.03.2020 से 31 मार्च 2020 तक बन्द (Lock down) करने का निर्णय लेते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये हैं—

- 1— आवश्यक सेवाओं उष्ट्र डेयरी, पशुधन प्रक्षेत्र, सम्पदा, प्रशासन एवं वित्त इत्यादि से संबंधित सभी प्रभारी अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी कार्य की आवश्यकतानुसार अलग अलग पारियों/सप्ताह में लगावें।
- 2— अन्य स्टाफ कार्य की तात्कालिकता को घ्यान में रखते हुए स्वयं कार्य पर उपस्थित हों।
- 3— उपरोक्त अवधि में सभी अधिकारी/कर्मचारीगण अपने निवास स्थान/मुख्यालय पर रहे तथा आवश्यकतानुसार बुलाने पर कार्य पर उपस्थित हों एवं इस अवधि में अपने मोबाईल फोन चालू रखें।

यह आदेश निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
(आर.ए. साहू)  
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण—

- 1— केन्द्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ, मार्गदर्शनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ईमेल के द्वारा
- 2— सभी प्रभारी अधिकारियों को ईमेल के द्वारा
- 3— केन्द्र के नोटिस बोर्ड
- 4— श्री दिनेश मुजाल, स.मु.त.अ. को केन्द्र की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु